पत्रांकः– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (मा०खा०आ०)/7–19/2015

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची/दिनांक–

विषयः– **PDS दुकानदारों द्वारा कटौती किए गए अनाज के मात्रा के अनुसार लाभुकों को कम अनाज उपलब्ध कराने पर कार्रवाई करने के संबंध में।**

प्रसंगः– अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग का पत्रांक–345 दिनांक 01.04.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार जिनके पास बैकलॉग अनाज होने के कारण कटौती की जा रही है से संबंधित अनाज का वितरण कैंप लगवाकर पर्याप्त सरकारी निगरानी में कराये जाने का सुझाव अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा दिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि वर्तमान में खाद्यान्न वितरण योजनाओं यथा NFSA, PMGKAY इत्यादि के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास पूर्व के अवशेष बचे खाद्यान्न को वर्तमान आवंटन के साथ सामंजित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटन तथा सामंजित खाद्यान्न के मात्रा के आलोक में लाभुकों को उनके Entitlement के अनुसार खाद्यान्न वितरण किया जाना अपेक्षित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में दिये गये सुझाव के संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ह०/–
(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (मा०खा०आ०)/7–19/2015 1286 राँची–दिनांक...06/05/22
प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

06/05/22
सरकार के अवर सचिव।